

Appearing on Page No. 216—219

Dated 1-2-2003

## सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क अभियंता सेवा समूह "क" मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक)	02* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सीमा सड़क इंजी-नियरिंग सेवा, समूह "क",	18400-500 22400 रु०	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
(11)		(12)	
प्रोन्नति द्वारा या सेना से तैनाती द्वारा। टिप्पण : सेना से तैनाती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।		प्रोन्नति :— सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा का ऐसा अधीक्षण अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा सहित अकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा की हो या सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा (वैद्युत एवं यांत्रिकी) की श्रेणी "क" पद पर सतरह वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा अधीक्षण अभियंता के रूप में हो जिसमें से दो वर्ष बतौर अधीक्षण अभियंता के पद पर रहते हुए कमांडर बेस कार्यशाला/कमान अधिकारी स्टोर प्रभाग का अनुभव हो।  सेना में तैनाती :— कार्मिक नीति के अनुसार ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी। टिप्पण :— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके स्पष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(13)		(14)	
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।	
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग		—अध्यक्ष	
2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल		—सदस्य	
3. महानिदेशक, सीमा सड़क		—सदस्य	

[ फा.सं. बी.आर.डी.बी./01/61/2000/जी.ई. I ]  
दीपक दास, निदेशक (बीआरडीबी)

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Border Roads Development Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2003

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Engineer (Electrical and Mechanical) in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Border Roads Organisation, namely :—



1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Roads Engineering Service Group 'A' [Chief Engineer (Electrical and Mechanical)] Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Chief Engineer (Electrical and Mechanical)	02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	Border Roads Engineering Service Group 'A'	Rs. 18400-500-22400	Selection
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972		Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
6		7		8
Not applicable		Not applicable		Not applicable
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	By promotion, or posting from Army. Note : The posts filled up by way of posting from the Army shall not exceed 50 per cent of the total posts.		

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
<p><b>Promotion :</b>  Suprintending Engineer (Electrical and Mechanical) with eight years regular service in the grade including service if any, in the Non-Functional Selection Grade or Seventeen years regular service in Group 'A' posts of Border Roads Engineering Service (Electrical and Mechanical) out of which four years regular service should be in the grade of Superintending Engineer out of which two years experience as Superintending Engineer should be as Commander Base Workshop or Officer Commanding Store Division.</p> <p><b>Posting from Army :</b> Officers of the rank of Brigadier as per the personnel policy.</p> <p><b>Note :—</b>Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman</li> <li>2. Secretary, Border Roads Development Board —Member</li> <li>3. Director General Border Roads —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary.</p>

[F. No. BRDB/01/61/2000-G.E.I.]

DEEPAK DAS, Director (BRDB)